V-190
Cr-J. (E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEFURE CODE, 1898

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheshwer

Case No 574 /2022 Complaint or report made on .... Name and address of the complainant शासन द्वारा आबकारी वृत्त/आरक्षी केंद्र करही

Name, parentage, caste and address of accused

नरवरसिंग पिता मोहन बाबुने जाति भील उम्र 41 साल
नि. ग्राम सिरात

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनाक 18/10/22 को समय 17:30 बजे स्थान होदड़िया रोड नहर के पास में अपने आधिपत्य मे 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 500/- रु शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य मे रखी।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो कि धारा 34(1) EX. ACT के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एव इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त/अभियुक्तगण की प्ली

अपराध स्वीकार है।

नरवरसिंग

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The offence proved, of any. and in case under clause. (d) clause (e) clause (f) or clause (g). of Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed

: : निर्णय : :

// आज दिनांक 28/10/22 को घोषित //

1 अभियुक्त / अभियुक्तगण के प्रकरण मे संक्षिप्त प्रकिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 34(1) Ex. Act के तहत अपराध की विशिष्टिया पढकर, सुनाये व समझाये जाने पर उन्होने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया अभियुक्त / गण की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।

2 अभियुक्त / अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियो को देखते हुए धारा 34(1) Ex. Act के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है अत अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 34(1) Ex. Act के अपराध मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

3. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

4 प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी गुड़वा शराब विहित अवधि पश्चात नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

J. Rawat
28/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर म.नि.

मेरे उदबोधन पर अंकित

J. Rawat
28/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर म नि